Act are clubbed in one category, which includes foundations, voluntary organisations, hospitals, private schools, universities, etc. So, no differentiation is done either at the time of registration or while implementing the FCRA.

Recently, at one go, more than 4,000 registrations were cancelled without citing reasons to organisations or even indicated the same on the website of department.

In 2005, the Government of India drafted the National Policy of Voluntary Sector to promote genuine voluntary development organisations and streamlining their relationship with various departments of the Government of India.

Similarly, there is need to create a separate Ministry for voluntary sector and national law for registration not only to regulate the sector in professional way but also to strengthen genuine organisations working on many social and development issues.

Realizing these concerns, I urge upon the Government to have a regular dialogue with voluntary development sector and urgently address those issues mentioned above, particularly with those genuine organisations affected by the FCRA cancellation.

Demand to set up a Helicopter manufacturing unit in Bidar District of Karnataka

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): महोदय, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा कर्णाटक के बीदर जिले में हेलीकॉप्टर तैयार करने का एक घटक प्रारम्भ करने का प्रस्ताव कर्णाटक के प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख रखा गया था। बीदर में भारतीय सेना का वायुसेना प्रशिक्षण केन्द्र होने के नाते वहां हेलीकॉप्टर घटक खोलना इस परिवार के लिए लाभदायक होगा।

आप वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर तथा अन्य अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकता के अनुसार जमीन के लिए प्रस्ताव कर्णाटक सरकार को रखें, जो उत्तर कर्णाटक के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू सिद्ध होगा। इस निमित्त में माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वहां हेलीकॉप्टर घटक प्रारंभ करने की पहल शुरू करें तथा जो सलाह आपने प्रतिनिधिमंडल को दी थी, उसे शीघ्र लागू करें।

Demand to take steps to improve the condition of quarters of Central Government Employees in Delhi

श्री डी.पी. त्रिपाठी (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बनी सरकारी कालोनियों के मकानों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उच्च अधिकारियों और सांसदों के बंगलों की तो फिर भी थोड़ी बहुत देखभाल

[श्री डी.पी. त्रिपाठी]

सी.पी.डब्ल्यू.डी. विभाग करता रहता है, परंतु छोटे कर्मचारियों के टाइप-1, टाइप-2 मकानों की हालत बेहद खराब है।

महोदय, कालीबाड़ी, मंदिर मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, सरोजिनी नगर इत्यादि जगहों में छोटे कर्मचारियों के लिए मकान बने हैं। ज्यादातर मकानों की दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुके हैं। छत कमज़ोर हो गई है और कई मकानों की छतों से पानी टपकता है। शिकायत करने पर स्थित की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार दुघर्टनाएं भी हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 26.07.12 को काली बाड़ी में एक मकान संख्या एच-48 की छत गिर गई, जिसके बारे में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को कई बार पूर्व सूचना दी गई थी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। छत गिरने से एक महिला को गंभीर चोटें आई, जिसकी पुनः शिकायत की गई, परंतु कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई।

मेरी मांग है कि छोटे कर्मचारियों के मकानों की दशा सुधारने के लिए उनसे संबंधित शिकायतों पर तुरंत गंभीरता से ध्यान दिया जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उपरोक्त घटना की तरफ ध्यान न देने वाले सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

Need to frame strict regulations to check the sale, regulation and advertisement of medicines claiming magic remedies

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : महोदय, इन दिनों टी.वी., समाचार पत्रों, रेडियो पर विभिन्न गंभीर बीमारियों के अचूक इलाज के नाम पर अनेक प्रकार के विज्ञापनों की भरमार है। संचार माध्यमों पर किसी लोकप्रिय अभिनेता, खिलाड़ी या मॉडल आदि के द्वारा ऐसी दवाओं का बखान सामान्य लोगों में उन दवाओं के प्रति विश्वास बढ़ाता है तथा देश के हजारों लोग विज्ञापन को हकीकत समझकर ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, डायबिटीज़, बालों का गिरना रोकने तथा कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ऑर्डर द्वारा महंगी दवाएं मंगाकर लेने लगते हैं।

क्या ऐसी सभी विज्ञापित दवाओं को सरकार द्वारा सुरक्षित एवं प्रभावी मानते हुए लाइसेंस दिया जाता है? क्या किसी को भी दवाएं बनाने एवं बेचने की खुली छूट है, क्योंकि कुछ नीम-हकीमों की दवा से कई लोग अधिक तकलीफ भुगतते हैं। अतः इस विषय में, सरकार की नीति क्या है। तथा दवाओं का मूल्य निर्धारण कौन करता है, कृपया इसकी जानकारी प्रदान करें।

Demand from NCR Board to provide funds for bus services from Ghaziabad to Delhi

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया है। राजधानी क्षेत्र में आधारभूत